

21.5.16

पंचावली कोर्ट केम्प माफोला  
पर पेश/वादी सं० २ ने उपरोक्त  
होकार बताया गया है कि हम  
वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि  
प्रतिवादी सं० को बेच दी है. बख्खाडा  
वाकपत्र स्वारीज निषा जावे।

वादीगण द्वारा अपने हिस्से की  
भूमि प्रतिवादी सं० को बेच दी  
गई है. वादीगण का विवादित  
भूमि पर बेचने पर वादजा नहीं होने  
से वाद पत्र स्वारीज निषा जाता  
है।

आज यह फैसला कोर्ट माफोला  
में सत्रे आम सुनाया गया।

पंचावली कोर्टल सुमार होकर  
नम्बर से वाम है।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं